उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-46/2017/413/92-2-17-12जॉच/2013

लखनऊ:: दिनांक 16 मार्च, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2010-11 में डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों के सी0सी0 रोड व नाली के 19 कार्यो का टेण्डर न करके अनुबंध सेलेक्शन के आधार पर करने, अपने चहेते ठेकेदारो को लाभ पहुंचाने तथा लाखों रूपये की शासकीय क्षति कारित करने आदि अनियमितताओं के लिये शासन के शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3166/92-2014-12जांच/2013, दिनांक 21-08-2014 द्वारा श्री रामनाथ सोनकर, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित करते हुये श्री रामनाथ सोनकर को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मुख्यालय से सम्बद्व किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

2- श्री रामनाथ सोनकर, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती (सम्प्रति निलम्बित) को निलम्बित रहते हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के दृष्टिगत सम्यक रूप से विचारोपरान्त श्री रामनाथ सोनकर को उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक /विभागीय जॉच कार्यवाही चलते रहने की शर्त तथा उनकी नियमित तैनाती के संबंध में बाद में विचार किये जाने के प्रतिबंध के साथ शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-18/2015/819/92-1-2015-12जॉच/2013 दिनांक 10-03-2015 द्वारा सेवा में बहाल करते हुये श्री सोनकर को कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभिंयता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में ही पूर्ववत सम्बद्व कर दिया गया।

3- प्रश्नगत अनुशासनिक जॉच में जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद के पत्र दिनांक 30-07-2016 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसके क्रम में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी, श्री रामनाथ सोनकर, अधिशासी अभियंता से शासन के पत्र सं0-1452/92-2-2016-12जांच/2013 दिनांक 22-09-2016 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 25-11-2016 द्वारा अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र सं0-1968/ग्रा0अ0वि0/अनु0कार्य0 /बचाव उत्तर/2016-17 दिनांक 14-12-2016 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या पर अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप स्थापित नही पाये गये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21-08-2014 द्वारा श्री रामनाथ सोनकर, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-बस्ती के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर श्री सोनकर को दोषमुक्त करते हुये अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-46/2017/413(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री रामनाथ सोनकर, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती सम्प्रति अधिशासी अभियंता,(पी0आई0यू0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-महाराजगंज द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।